प्रवेश निर्देशिका

PROSPECTUS

सत्र 2022-23

राजकीय महाविद्यालय जखोली (रुद्रप्रयाग)

उत्तराखण्ड

संपर्क: 01370-234285

Email: gdcjakholi@gmail.com

(सम्बद्ध-श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड)

शुल्क- 50 रु

Scanned with CamScanner

विवरणिका प्रकाशन समिति

डॉ. देवेश चन्द्र | डॉ. सुभाष कुमार | डॉ. विकास शुक्ला

आवश्यक निर्देश

यह विवरणिका महाविद्यालय से संबन्धित आवश्यक सूचनाएँ प्रदान करती है। अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इसके मुद्रण के पश्चात भी उत्तराखंड सरकार, उच्च शिक्षा उत्तराखंड, श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल एवं महाविद्यालय के आदेशानुसार पाठ्यक्रम, प्रवेश नियमों, शुल्क दरों, छात्रवृत्तियों आदि में परिवर्तन संभव है।

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	विहंगावलोकन	
2.	प्राचार्य संदेश	
3.	परिचय (आपका महाविद्यालय)	
4.	महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया	
5.	कुलगीत	
6.	प्रवेश नियम	
7.	कला संकाय	
8.	पुस्तकालय एवं वाचनालय	
9.	पाठ्येत्तर कार्यकलाप	
10.	छात्रवृत्तियाँ एवं आर्थिक अनुदान	
11.	छात्र-कल्याण	
12.	छात्र संघ	
13.	अनुशासन	
14.	रैगिंग पूर्णतः निषेध एवं दंडनीय अपराध	
15.	परिचय पत्र/ चरित्र प्रमाणपत्र/ स्थानांतरण प्रमाणपत्र	
16.	उपस्थिति नियम	
17.	स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारण	
18.	स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारण	
19.	पाठ्यक्रम	
20.	महाविद्यालय परिवार	

Scanned with CamScanner

प्राचार्य-संदेश

मेरे प्यारे विद्यार्थियों।

महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर कार्य करते हुए मैं आप सभी से आमुख हूँ। प्रदेश में उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थानों में से एक राजकीय महाविद्यालय जखोली (रुद्रप्रयाग) के नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको यह जानकार गर्व की अनुभूति होगी कि आप एक ऐसे महाविद्यालय के विद्यार्थी बनने जा रहें हैं जिसने सदैव से ही शैक्षिक, सामाजिक, नैतिक एवं मानवीय मूल्यों के उच्चतम स्तर को अंतर्निर्विष्ट करने के उद्देश्य के लिए सदा-सर्वदा अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। इस महाविद्यालय ने तेजी से बदलते परिदृश्य एवं चुनौतियों के मध्य युवा मन को आकार देने व शैक्षणिक उत्कृष्टता एवं आदर्श शैक्षणिक वातावरण के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई है। महाविद्यालय की पहचान इसकी उच्चस्तरीय शैक्षणिक व शिक्षणेत्तर गतिविधियों, उत्कृष्ट परम्पराओं व शोध कार्यों से है। हमारे महाविद्यालय का स्वच्छ एवं सुंदर परिसर विद्यार्थियों के मानसिक विकास को उन्नत कर रहा है। शिक्षा के साथ-साथ यहाँ शारीरिक विकास एवं खेलकूद की सुविधाएं विद्यार्थियों को आंतरिक संबल प्रदान करती हैं।

इस संदेश के माध्यम से मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस संस्था को और अधिक गौरवान्वित करने हेतु सदैव प्रयासरत रहें। मैं नए सत्र में आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ।

शुभकामनाओं सहित

डॉ. (कु.) माधुरी
प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय
जखोली (रुद्रप्रयाग)

Scanned with CamScanner

परिचय

प्रदेश में उच्च शिक्षा नीति और शिक्षा के उन्नयन के लिए समर्पित एवं जागरूक क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों के अथक प्रयासों से जुलाई 2001 में यह महाविद्यालय अस्तित्व में आया। यह महाविद्यालय पावन भूमि लस्या पट्टी में स्थित ग्राम सभा देवल के समीप हिलाऊँ नदी के पावन तट पर विकास खंड जखोली में स्थित है। महाविद्यालय की स्थापना उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या- 10283/जी°एस°/2001 दिनांक 19 जुलाई 2001 के द्वारा की गई। प्रारम्भ में इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं अंग्रेजी विषयों में अध्ययन हेतु स्नातक स्तर की सुविधा थी। तत्पश्चात उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या-2655/XXIV (7)/2013-04 (घो.)/12 दिनांक 5 दिसंबर 2013 एवं निदेशक उच्च शिक्षा हल्द्वानी नैनीताल के पत्र संख्या डिग्री प्लान/ संबद्धता /15375/2013-14 दिनांक 21 फरवरी 2014 के द्वारा महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर संस्कृत तथा स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीतिशास्त्र विषयों की सैद्धांतिक स्वीकृत प्रादन की गई है।

विकास खण्ड जखोली की अभूतपूर्व प्राकृतिक वादियों में स्थित महाविद्यालय के लिए गौरव का विषय है कि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान सूची में है तथा 2(f) तथा 12 (b) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। महाविद्यालय NAAC की ग्रेडिंग के लिए निरंतर प्रयासरत है। उत्तराखंड शासन की उच्च शिक्षा नीति के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय जखोली एक उत्कृष्ट उच्च शिक्षा संस्थान है। महाविद्यालय निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और क्षेत्रीय प्रबुद्ध जनता का महाविद्यालय के विकास में योगदान की अपेक्षाएँ हैं। निश्चित रूप से ही निकट भविष्य में क्षेत्रीय विकास में महाविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों एवं नियमानुसार सम्पन्न होंगे।

महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया

1. महाविद्यालय में प्रवेश लेने के हेतु आवेदन-पत्र भरना होगा। प्रवेशार्थी विवरणिका निर्धारित शुल्क पर महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
2. प्रवेशार्थी को प्रवेश आवेदन-पत्र पूर्णतः भरकर उसके साथ निम्नलिखित प्रपत्र सल्लग्न कर महाविद्यालय कार्यालय में निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करना होगा:-
   - i. विगत सभी परीक्षाओं के अंक पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि
   - ii. अंतिम विद्यालय का चरित्र प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)/व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने वाले प्रवेशार्थी को किसी राजपत्रित अधिकारी, क्षेत्र के सांसद/विधानसभासदस्य/विधानपरिषद सदस्य/नगरपालिका या जिलापरिषद के अध्यक्ष से चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में
   - iii. आयु प्रमाणपत्र के लिए हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा की प्रतिलिपि
   - iv. आरक्षित वर्ग के प्रवेशार्थियों को सक्षम अधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित) सल्लग्न करनी होगी।
   - v. खेलकूद तथा अन्य पाठ्येत्तर कार्यकलाप संबंधी प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
   - vi. अंतिम विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टी.सी.) मूल प्रतिलिपि।
   - vii. मा. उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रवेशार्थी एवं माता/पिता/संरक्षक का एंटी-रैगिंग शपथ पत्र मूल रूप में।
3. जो प्रवेशार्थी गत-वर्ष इस महाविद्यालय का छात्र रहा हो, उसके लिए प्रार्थना पत्र के साथ केवल विगत परीक्षा के अंकपत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि एवं फोटो की चार प्रतियां सल्लग्न करनी होंगी।
4. अपूर्ण प्रार्थनापत्रों पर विचार नही किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

5. प्रवेश समिति सभी पूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार करेगी एवं उपलब्ध संसाधनों, सीटों की संख्या एवं निर्धारित योग्यता के अंतर्गत प्रवेश देगी।
6. प्रवेश समिति प्रवेश के लिए उपयुक्त प्रवेशार्थियों का साक्षात्कार करने के पश्चात सफल प्रवेशार्थियों की सूची प्राचार्य के आदेश के निमित्त संस्तुत करेगी। जिन प्रवेशार्थियों का प्रवेश प्राचार्य द्वारा स्वीकृत हो जाएगा उन्हे सूचना पट्ट पर निर्दिष्ट सूचना के अनुसार निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय कार्यालय में पूरा शुल्क जमा करना होगा, अन्यथा उनका प्रवेश स्वतः ही रद्द हो जाएगा।
7. यदि किसी छात्र के अध्ययन काल में व्यवधान आ गया है तो उसे प्रवेश तभी दिया जा सकता है, जब वह अध्ययन में व्यवधान के कारणों को स्पष्ट करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

प्रवेश नियम

1. महाविद्यालय को बिना कारण बताए प्रवेश न देने/निरस्त करने का अधिकार होगा।
2. स्नातक (कला) वर्ग में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को चयनित विषयों के सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों में भी न्यूनतम अंक (कला 40%) प्राप्त होने पर ही प्रवेश की संस्तुति की जाएगी।
3. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उत्तराखंड शासन के नियमानुसार देय होगा।
4. प्रवेशार्थियों को संस्था के सूचना पट पर प्रवेश संबंधी सूचनाएँ देखते रहना चाहिए।
5. प्रवेश के पूर्व ही स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टी.सी.) जमा करना आवश्यक है। किसी अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थी को एक माह के अंदर प्रवजन प्रमाणपत्र जमा करना होगा अन्यथा अंतिम प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
6. संस्थागत विद्यार्थी के रूप में केवल उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। अनुत्तीर्ण अथवा किसी अन्य कारण से परीक्षा में सम्मिलित न हुए विद्यार्थी प्रवेश पाने के पात्र नही होंगे। ऐसे विद्यार्थी भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
7. स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष के छात्र को अनुत्तीर्ण होने या चिकित्सा के आधार पर अन्य वैध कारण पर एक बार संकाय बदलकर प्रवेश दिया जा सकता है।
8. छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर तक छः वर्ष की एवं स्नातकोत्तर स्तर चार वर्ष तक ही संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने की सुविधा रहेगी जिसमें एक वर्ष का गैप भी सम्मिलित रहेगा।
9. केवल वे ही छात्र भूतपूर्व छात्र का लाभ ले सकेंगे जिनहोने पूरे सत्र अध्ययन किया हो अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र /अनुक्रमांक दिया गया हो और वह चिकित्सा के आधार पर आवेदन करता है। ड्रापर विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण माना जाएगा।
10. जिन छात्रों की गतिविधियां अनुशासन मण्डल/प्रशासन की राय में अवांछनीय हैं उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है/निष्कासित किया जा सकता है/प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
11. न्यायालय द्वारा दंडित अभ्यर्थी को प्रवेश नही दिया जायेगा।
12. अनुचित साधन प्रयोग के अंतर्गत दंडित छात्रों को प्रवेश नही दिया जाएगा।
13. प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद अविचारित प्रवेश आवेदन पत्रों को स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
14. छात्र/छात्रा के शुल्क रशीद एवं परिचय पत्र में भी आवंटित विषयों का उल्लेख किया जायेगा।
15. अर्हता परीक्षा (क्वालीफ़ाइंग एग्जामिनेशन) उत्तीर्ण करने के अंतराल अधिकतम दो वर्ष के अंतराल (गैप) पर ही प्रवेश दिया जयेगा अन्यथा प्रवेश नही दिया जायेगा। गैप वर्ष के साक्ष्य के रूप में सक्षम न्यायालय के नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
16. तथ्य को छिपाने, गलत एवं अपूर्ण सूचनाएँ प्रस्तुत करने पर किसी भी छात्र को महाविद्यालय से निष्काषित किया जा सकता है। अगर किसी त्रुटि वश गलत तथ्यों के आधार पर किसी छात्र/छात्रा को प्रवेश दिया गया हो तो तथ्यों के प्रकाश में आने पर इस अनियमित प्रवेश को निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

Scanned with CamScanner

17. संस्थागत छात्र उपाधि हेतु एक ही सत्र में अन्य किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश नही लेगा और न ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में शामिल होगा। यदि कोई छात्र/छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा में शामिल हो जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

18. महाविद्यालय में संचालित (03 वर्षीय) स्नातक पाठ्यक्रम एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (02 वर्षीय, 04 सेमेस्टर) में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र/छात्राओं को कला संकाय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर विषयों में निर्धारित सीटों (स्थान) पर योग्यता क्रम के अनुसार प्रवेश संस्तुत किए जा सकेंगे।

i. बी.ए. प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए विषय

1) हिन्दी 2) अँग्रेजी 3) संस्कृत 4) राजनीतिशास्त्र
5) इतिहास/भूगोल (कोई एक) 6) समाजशास्त्र 7) अर्थशास्त्र

ii. वर्तमान में विभिन्न विषयों में प्रवेश हेतु सीटों की उपलब्धता निम्नवत है, जिसमें प्रवेश निर्धारित सीटों के अनुसार देय होंगे।

क्र.सं.	संकाय का नाम NAME OF FACULTY	स्तर LEVEL	पाठ्यक्रम NAME OF COURSE	विषय SUBJECT	सीट संख्या NO OF SEATS	विवरण REMARK
1	कला संकाय	स्नातक	कला स्नातक	हिन्दी	80	
2	कला संकाय	स्नातक	कला स्नातक	अंग्रेजी	80	
3	कला संकाय	स्नातक	कला स्नातक	संस्कृत	60	
4	कला संकाय	स्नातक	कला स्नातक	राजनीति शास्त्र (दो सेक्सन 60-60 सीट)	120	
5	कला संकाय	स्नातकोत्तर	कला स्नातकोत्तर	राजनीति शास्त्र	30	
6	कला संकाय	स्नातक	कला स्नातक	इतिहास	80	
7	कला संकाय	स्नातक	कला स्नातक	भूगोल	80	
8	कला संकाय	स्नातक	कला स्नातक	समाजशास्त्र	80	
9	कला संकाय	स्नातक	कला स्नातक	अर्थशास्त्र	80	

नोट: वर्तमान सत्र 2022-23 से राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राज्य सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है। जिसके तहत सेमेस्टर प्रणाली प्रारम्भ की जा रही है। नई शिक्षा नीति के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश के आधार पर प्रवेश नियम और विषय चयन की प्रक्रिया लागू होगी।

Scanned with CamScanner

पुस्तकालय एवं वाचनालय

पुस्तकालय:

पुस्तकालय किसी भी शिक्षण संस्था का अपरिहारी अंग एवं बौद्धिक विकास का महत्वपूर्ण आधार होता है। महाविद्यालय का पुस्तकालय मुक्त-पहुँच (open Access) प्रणाली द्वारा संचालित होता है। महाविद्यालय पुस्तकालय प्रत्येक कार्य दिवस में खुला रहता है। पुस्तक प्राप्त करने के लिए छात्र अपने पुस्तकालय कार्ड बनवा लें। अपना पुस्तकालय कार्ड एवं परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर ही पुस्तकें निर्गत की जाएंगी। पुस्तकालय अध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा मांगे जाने पर छात्र को निर्गत पुस्तकें लौटानी होंगी। कोई भी छात्र पुस्तकें निर्धारित समय से अधिक अपने पास नहीं रख सकता। पुस्तकों को सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी छात्र की होगी। यदि कोई कोई पुस्तक फट/गंदी/नष्ट होने की स्थिति में छात्र को नई पुस्तक पुस्तकालय में निर्धारित समय में जमा करनी होगी। संदर्भ पुस्तकें पुस्तकालय अध्ययन कक्ष में ही पढ़ी जा सकेंगी। सभी पुस्तकें परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व लौटानी होंगी। वर्तमान में महाविद्यालय पुस्तकालय में विभिन्न विषयों में 9, 126 पुस्तकें हैं।

वाचनालय:

छात्रो को दैनिक पत्र एवं पत्रिकाएँ पढ़ने एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु महाविद्यालय में वाचनालय की सुविधा है। पत्र-पत्रिकाओं को वाचनालय से बाहर ले जाना वर्जित है। वाचनालय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ उपलब्ध हैं। छात्र-छात्राओं के सुझावाओं पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के क्रय करने की भी व्यवस्था है। इस हेतु सुझाव, वाचनालय सुझाव पेटिका में दिये जा सकते है।

पाठ्येत्तर कार्यकलाप

1. राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)
2. क्रीड़ा परिषद
3. सांस्कृतिक परिषद
4. महाविद्यालय पत्रिका
5. विभागीय परिषदें
6. प्रसार व्याख्यानमाला
7. कैरियर काउंसिलिंग एवं प्लेसमेंट सेल
8. ई-पुस्तकालय
9. वार्षिक समारोह
10. रेड क्रॉस सोसाइटी
11. एडुसेट
12. पोर्टल
13. यूजीसी नैक/ रूसा
14. ऑनलाइन शैक्षणिक कार्य/गतिविधियां
15. मतदाता जागरूकता कार्यक्रम
16. छात्र अभिभावक संघ
17. ई-आकलन समिति

Scanned with CamScanner

छात्रवृतियाँ एवं आर्थिक अनुदान

विद्यार्थियों की सुविधाओं हेतु विभिन्न विभागों/संस्थानों/संगठनो द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों एवं अनुदानों का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे निम्नांकित सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़कर और निर्धारित विवरण के अनुसार महाविद्यालय में समय-समय पर प्रचारित सूचनाओं के आधार पर छात्रवृत्तियों एवं अनुदानों को प्राप्त करने के लिए आवेदन करें। इन छात्रवृत्तियों एवं आर्थिक अनुदानों के अतिरिक्त भारत सरकार, उत्तराखंड शासन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य संगठनों द्वारा अन्य अनेक छात्रवृत्तियाँ एवं अनुदान वितरत किए जाते हैं। आवेदन हेतु विद्यार्थियों को कार्यालय/प्रभारी प्राध्यापक से संपर्क करना चाहिए।

1. समाज कल्याण विभाग से स्वीकृत छात्रवृत्तियाँ

   (क) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ी जाति हेतु छात्रवृत्ति:- यह छात्रवृत्ति उक्त वर्ग के उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है जो महाविद्यालय के नियमित छात्र हैं। इन छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय निर्धारित राशि (रु0 2 लाख) से अधिक नही होनी चाहिए। जाति एवं आय प्रमाणपत्र तहसील से प्राप्त कर निर्धारित प्रार्थनापत्र ऑनलाइन एवं हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा करना चाहिए। छात्रवृत्ति जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाती है।

   (ख) विकलांग छात्रवृत्ति:- विकलांग की छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए छात्र/छात्र के अभिभावक का विकलांग होना आवश्यक है, जिसकी पुष्टि में मुख्य चिकित्सा आधिकारा द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाणपत्र मान्य होता है। यह छात्रवृत्ति भी जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाती है।

2. निर्धन छात्रवृत्ति:- महाविद्यालय में आध्यानरत ऐसे छात्र/छात्राएँ जिनकी, जिनके अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है उक्त ऐसे सभी छात्रों को महाविद्यालय द्वारा निर्धन छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

विशेष:-

1. समय- समय पर उक्त छात्रवृत्तियों की दरों एवं अन्य नियमों में परिवर्तन होते रहते हैं, अतः नवीनतम जानकारी हेतु उन छात्रों को महाविद्यालय कार्यालय तथा प्रभारी प्राध्यापक से संपर्क बनाए रखना चाहिए।
2. सभी प्रार्थनापत्र प्राचार्य द्वारा अग्रसारित किए जाते हैं, निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार करना संभव नही होगा।
3. छात्रवृत्ति पाने वाले अभ्यर्थी की उपस्थिती कम से कम 75% प्रतिमाह होना आवश्यक है।
4. राजाज्ञानुसार छात्र को एक ही प्रकार की आर्थिक सहायता/छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।
5. छात्र द्वारा अनुशासन हीनता, अभद्र व्यवहार करने, छल कपट करने की स्थिति में छात्रवृत्ति निरस्त की जा सकती है।

छात्र कल्याण

विद्यार्थियों को पाठ्येत्तर कार्यों की जानकारी देने, उनकी रचनात्मक एवं सृजनशील क्षमता को विकसित करने हेतु तथा उनकी विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु महाविद्यालय में विद्यार्थी कल्याण समिति विद्यमान है। विद्यार्थी को इस संबंध में छात्र कल्याण अधिष्ठाता और छात्र कल्याण अधिष्ठाता समिति से सीधे संपर्क करना चाहिए।

Scanned with CamScanner

यातायात सुविधा:- छात्रों को ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश में घर जाने, शैक्षिक परिभ्रमण एवं खेलकूद/सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए रेलवे कन्सेशन की सुविधा प्रादन की जाती है। इसके लिए विद्यार्थी को कम से कम 10 दिन पूर्व आवेदन करना चाहिए।

छात्र-संघ

प्रत्येक वर्ष सत्रावधि के लिए छात्र-संघ का गठन किया जाता है, पधाधिकारियों का चुनाव संस्थागत छात्र-छात्राओं द्वारा किया जाता है। छात्र-संघ का संरक्षक प्राचार्य होता है। संरक्षक द्वारा नामित प्राध्यापक छात्र-संघ का प्राभरी होता है। प्रभारी छात्र संघ/ मुख्य निर्वाचन अधिकारी ही छात्रों के सहयोग से छात्र संघ निर्वाचन की व्यवस्था करता है। छात्र संघ का उद्देश्य महाविद्यालय के विद्यार्थियों की समस्याओं को महाविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में लाना है तथा छात्रों को लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना होता है।

भारत सरकार द्वारा गठित लिंगदोह समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय के छात्र संघ चुनाव के निर्देशानुसार, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा निर्गत छात्र संघ चुनाव के आदेशों के अनुसार एवं श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल के द्वारा पारित छात्र संघ चुनाव आचार-व्यवहार के अनुसार छात्र संघ चुनाव महाविद्यालय द्वारा सम्पन्न कराकर छात्र संघ पदाधिकारियों का गठन किया जाता है।

अनुशासन

अनुशासन व्यक्तित्व विकास का आधार एवं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का महत्वपूर्ण उपकरण है। स्व-अनुशासित विद्यार्थी महाविद्यालय एवं समाज की संपत्ति होते हैं। अतः समस्त विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय की स्वस्थ परम्पराओं का आदर करें तथा आचार-संहिता का पालन करें। विद्यार्थी अपनी सोंच समझ में यह परिवर्तन लाएँ कि आचार-संहिता का पालन उनके लिए प्रतिबंध के रूप में नही है वरन यह उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग को आसान बनाने का एक माध्यम है।

आपके व्यक्तित्व विकास में जहां महाविद्यालय आपको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है वहीं महाविद्यालय की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना आपका अधिकार है किन्तु अधिकारों की मांग करते समय महाविद्यालय की सीमाओं को ध्यान में रखना तथा संयत व्यवहार करना आपका कर्तव्य है।

विद्यार्थियों से निम्नांकित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखने की अपेक्षा की जाती है:-

1. महाविद्यालय के बरामदों में अनावश्यक रूप से आवागमन न करें और न ही अध्ययन कक्ष के सामने एकत्रित होकर वार्तालाप करें।
2. अपने वाहन को नियत स्थान पर ही खड़ा करें।
3. प्राध्यापकगण एवं अन्य कर्मचारियों के साथ शिष्टतापूर्वक व्यवहार करें।
4. छात्र संघ चुनाव में महाविद्यालय की दीवारों पर पोस्टर चिपका कर व नारे लिखकर गंदा न करें।
5. किसी भी प्रकार से महाविद्यालय की संपत्ति को नुकसान न पहुचाएं।
6. महाविद्यालय के नियमों एवं परम्पराओं का पालन करें।
7. महाविद्यालय प्रांगण व अध्ययन-कक्ष की दीवारों को गंदा न करें तथा स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें।
8. महाविद्यालय परिसर में सिगरेट, तंबाकू, गुटखा एवं अन्य मादक-द्रव्यों को अपने पास रखना, उनका क्रय-विक्रय एवं सेवन करना वैधानिक अपराध है।

Scanned with CamScanner

9. महाविद्यालय के प्रांगण में लगे पेंड़ पौधों के विकास एवं संरक्षण में सहयोग प्रदान करें और स्वच्छ पर्यावरण के सहभागी बनें।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार "रैगिंग" (उत्पीड़न) गंभीर अपराध है। इस अपराध में लिप्त पाये जाने पर संबन्धित विद्यार्थी को महाविद्यालय से तुरंत निष्काषित कर दिया जाएगा। (विस्तृत जानकारी हेतु आगामी प्रष्ठ का अवलोकन करें।)

11. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल फोन रखना एवं प्रयोग करना वर्जित है। इसका उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड दिया जा सकता है।

12. महाविद्यालय प्रांगण में नियमित विद्यार्थियों के अतिरिक्त किसी भी बाहरी व्यक्ति का बिना अनुमति के प्रवेश दंडनीय अपराध है।

रैगिंग पूर्णतः निषेध एवं दंडनीय अपराध

<u>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने संबन्धित अधिनियम,2009</u>

रैगिंग से संबन्धित है:-किसी छात्र या छात्राओं द्वारा दूसरे को मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा प्रताड़ित करना, छेड़ना, अपशब्द कहना, छात्र के साथ दुर्व्यवहार, उसे अनुशासनहीन गतिविधियों में लगाना, ऐसा कार्य करने के लिए कहना जिससे उसे लज्जा की भावना, पीड़ा/ घबराहट उत्पन्न हो या मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव पड़े, वरिष्ठ होने के कारण किसी छात्र का आर्थिक, शारीरिक शोषण करना, आपराधिक बल प्रयोग करना, प्रहार करना, यौन संबंधी अपराध अप्राकृतिक अपराध आदि।

दण्ड या सजा:-

- कक्षा में उपस्थित होने से निलंबन/ प्रवेश रद्द करना।
- संस्था से 4 वर्षों तक के लिए निष्काषन करना।
- छात्रवृत्ति/ अन्य लाभों से रोकना या वंचित करना।
- परीक्षा में उपस्थित होने से रोकना/ परीक्षा परिणाम रोकना।
- रैगिंग में लिप्त पाये जाने पर टी.सी./सी.सी. में उल्लेख करना।
- आपराधिक कार्यवाही।

नोट: विद्यार्थियों को प्रवेश आवेदन पत्र के साथ रैगिंग के संबंध में शपथ-पत्र स्वयं व अभिभावक के हस्ताक्षर के साथ आवश्यक रूप से भरना होगा।

उपस्थिति नियम

उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड एवं श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड टिहरी गढ़वाल के आदेशानुसार प्रत्येक विद्यार्थी के लिए सम्पूर्ण सत्र में प्रत्येक विषय एवं प्रेक्टिकल्स में कम से कम 75 % उपस्थिती अनिवार्य है।

विशेष:- सत्रांत में जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति निर्धारित प्रतिशत से कम होगी, उनके विरुद्ध उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड एवं श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड टिहरी गढ़वाल के नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान नियम के अनुसार ऐसे विद्यार्थी जिसकी उपस्थिति 75 % से कम होती है वह विश्वविद्यालय परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने का अधिकारी नहीं है।

Scanned with CamScanner

परिचय-पत्र/ चरित्र प्रमाण पत्र/ स्थानांतरण प्रमाण पत्र

परिचय पत्र: संस्था के प्रामाणिक छात्र होने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को प्रोक्टोरियाल बोर्ड द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा और इसे सदैव अपने साथ रखना होगा। परिसर में कभी भी प्रोक्टोरियाल बोर्ड द्वारा विद्यार्थी से परिसर में कभी भी परिचय पत्र दिखाने को कहा जा सकता है, परिचय पत्र न दिखा पाने की स्थिति में उस विद्यार्थी को बाहरी व्यक्ति माना जाएगा। परिचय पत्र खो जाने की स्थिति में पुनः परिचय पत्र शुल्क जमा कर महाविद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

चरित्र प्रमाण पत्र: चरित्र प्रमाण पत्र पूरे शिक्षा सत्र में अधिकतम दो बार दिया जाएगा। प्रथम छः महीने में अध्ययनरत का तथा दूसरा परीक्षाफल निकलने के पश्चात चरित्र प्रमाण पत्र चीफ प्रोक्टर की संस्तुति पर दिया जाता है। परंतु यदि किसी विद्यार्थी का चरित्र महाविद्यालय जीवन में ठीक नही रहा तो चीफ प्रोक्टर अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र नही दे सकेंगे।

स्थानांतरण प्रमाण पत्र: इसके लिए छात्र को निर्धारित फॉर्म पर प्राचार्य को प्रार्थना पत्र देना होगा तथा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। समान्यतः प्रार्थना पत्र देने के एक सप्ताह बाद स्थानांतरण प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारण

1. स्नातक स्तर पर प्रवेश योग्यता सूचकांक के आधार पर होंगे।
2. स्नातक स्तर पर कला संकाय में प्रवेश हेतु इंटर्मीडिएट परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होने आवश्यक होंगे तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अभ्यर्थी को 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।
3. एन. सी. सी. 'B' प्रमाणपत्र धारक को 02 अंक, 'सी' प्रमाणपत्र धारक को 03 अंक एवं तथा गणतन्त्र दिवस परेड (राष्ट्रीय) को 05 अंक देय होंगे (अधिकतम 05 अंक ही देय होंगे)
4. स्काउट में G-1 धारक को 01 अंक एवं G-2 धारक को 02 अंक देय होंगे
5. स्काउट को राज्य जमबूरी में प्रतिभाग करने पर 05 अंक एवं राष्ट्रीय जमबूरी में प्रतिभाग करने पर 07 अंक देय होंगे
6. राष्ट्रीय सेवा योजना के 'A और 'B' प्रमाणपत्र धारक को या 240 घंटे + दो विशेष शिविरों को 02 अंक 'C' प्रमाणपत्र धारक को 03 अंक एवं राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/ गणतन्त्र दिवस परेड को 05 अंक देय होंगे (अधिकतम 05 अंक ही देय होंगे)
7. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को क्रमशः 05 तथा 07 अतिरिक्त अंक देय होंगे
8. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों/भूतपूर्व/कार्यरत सैनिकों/अर्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री) को 03 अंको का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा।
9. 02 वर्ष से अधिक गैप के पश्चात प्रवेश नही मिलेगा। गैप वर्ष के साक्ष्य रूप में शपथ पत्र (नोटरी द्वारा प्रमाणित) प्रस्तुत करना होगा।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारण

1. स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू है।
2. स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में राजनीतिशास्त्र में प्रवेश हेतु स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होने आवश्यक होंगे तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अभ्यर्थी को 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।
3. अतिरिक्त अंको की गणना निर्धारित कर उसे सूचकांक में जोड़ दिया जायेगा।

Scanned with CamScanner

I. आवेदक ने यदि उसी महाविद्यालय जिसमें प्रवेश ले रहा हो से स्नातक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो 05 अंक देय होंगे।

II. अंतर-विश्वविद्यालय तथा राज्य स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले आवेदक को 05 अंक तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले आवेदक को 07 अंक देय होंगे।

III. एन. सी. सी. 'B' प्रमाणपत्र धारक को 02 अंक, 'सी' प्रमाणपत्र धारक को 03 अंक एवं तथा गणतन्त्र दिवस परेड (राष्ट्रीय) को 05 अंक देय होंगे (अधिकतम 05 अंक ही देय होंगे)

IV. राष्ट्रीय सेवा योजना के 'A और 'B' प्रमाणपत्र धारक को या 240 घंटे + दो विशेष शिविरों को 02 अंक 'C' प्रमाणपत्र धारक को 03 अंक एवं राष्ट्रीय एकीकरण शिविर/ गणतन्त्र दिवस परेड को 05 अंक देय होंगे (अधिकतम 05 अंक ही देय होंगे)

V. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों/भूतपूर्व/कार्यरत सैनिकों/अर्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री) को 03 अंको का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा।

VI. गैप वर्ष के लिए 05 अंक प्रतिवर्ष के हिसाब से योग्यता सूची से घटा दिए जाएंगे।

VII. 02 वर्ष से अधिक गैप के पश्चात प्रवेश नही मिलेगा। गैप वर्ष के साक्ष्य रूप में शपथ पत्र (नोटरी द्वारा प्रमाणित) प्रस्तुत करना होगा।

नोट: अधिकतम देय वरीयता अंक 15 से अधिक नही होंगे।

पाठ्यक्रम

1. कला संकाय में स्नातक स्तर में इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, हिन्दी, राजनीति विज्ञान, अँग्रेजी, संस्कृत एवं अर्थशास्त्र विषयों के अध्ययन की सुविधा है।
2. कला संकाय में स्नातकोत्तर स्तर में राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।

नोट: छात्रों हेतु महाविद्यालय में ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। बिना ड्रेस कोड के छात्र/छात्राओं का महाविद्यालय परिसर/कक्षा में प्रवेश पूर्णतः वर्जित है।

राजकीय महाविद्यालय, जखोली (रुद्रप्रयाग) प्रवेश समिति का विवरण सत्र 2022-23	
महाविद्यालय का नाम	राजकीय महाविद्यालय, जखोली (रुद्रप्रयाग)
महाविद्यालय का ईमेल पता	gdcjakholi@gmail.com
महाविद्यालय का संपर्क सूत्र	01370-234285
प्राचार्य का नाम	डॉ. (कु.) माधुरी
प्रभारी प्रवेश समिति	श्री देवेश चंद्र
सदस्य, प्रवेश समिति	डॉ. बबीत कुमार बिहान, डॉ. सुभाष कुमार, डॉ. विकास शुक्ला

Scanned with CamScanner

महाविद्यालय के राजपत्रित अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	क्र. सं.	अधिकारी का नाम
1	डॉ. (कु.) माधुरी, प्राचार्य	2	श्री देवेश चन्द्र
3	डॉ. नन्द लाल	4	डॉ. बबीत कुमार बिहान
5	डॉ. सुभाष कुमार	6	डॉ. भारती
7	डॉ. विकास शुक्ला	8	डॉ० कविता अहलावत

शुल्क का निर्धारण

कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय जखोली जनपद-रुद्रप्रयाग		
स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क का विवरण		
क्र. सं.	शुल्क निधि	शुल्क रुपये
1	प्रवेश शुल्क	3.00 रुपये
2	विकास शुल्क	20.00 रुपये
3	महंगाई शुल्क	240.00 रुपये
4	पुस्तकालय शुल्क	3.00 रुपये
5	पंखा शुल्क	5.00 रुपये
6	महाविद्यालय दिवस	20.00 रुपये
7	विभागीय परिषद	50.00 रुपये
8	छात्र संघ शुल्क	50.00 रुपये
9	छात्र कल्याण शुल्क	5.00 रुपये
10	महाविद्यालय पत्रिका शुल्क	50.00 रुपये
11	वाचनालय शुल्क	30.00 रुपये
12	परिचय पत्र शुल्क	25.00 रुपये
13	विविध शुल्क	100.00 रुपये
14	निर्धन छात्र सहायता शुल्क	10.00 रुपये
15	क्रीड़ा शुल्क	200.00 रुपये
16	विद्युत शुल्क	60.00 रुपये
17	कंप्यूटर इंटरनेट शुल्क	70.00 रुपये
18	सांस्कृतिक शुल्क	50.00 रुपये
19	प्रांगण विकास शुल्क	60.00 रुपये

Scanned with CamScanner

20	प्रशाधन शुल्क	50.00 रुपये
21	सौंदर्यीकरण शुल्क	50.00 रुपये
22	प्रयोगशाला शुल्क	240.00 रुपये
23	शिक्षण शुल्क (स्नातकोत्तर कक्षा के लिए)	180.00 रुपये
नोट: परीक्षा शुल्क एवं उपाधि शुल्क परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय परीक्षार्थी द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ऑनलाइन जमा किया जायेगा।		

महाविद्यालय परिवार

इतिहास विभाग

श्री देवेश चंद्र (M.A., B.Ed, UGC-NET)

असिस्टेंट प्रोफेसर

भूगोल विभाग

डॉ. नन्द लाल (M.A., B.Ed, UGC-NET, Ph.D.)

असिस्टेंट प्रोफेसर

समाजशास्त्र विभाग

डॉ. बबीत कुमार बिहान (M.A., M.Phil., Ph.D. UGC-NET, U-SET)

असिस्टेंट प्रोफेसर

हिन्दी विभाग

डॉ. सुभाष कुमार (M.A., B.Ed, Ph.D. UGC-NET, U-SET)

असिस्टेंट प्रोफेसर

राजनीति विज्ञान विभाग

1. डॉ० विकास शुक्ला (M.A., Ph.D. UGC-NET)
   असिस्टेंट प्रोफेसर
2. डॉ. कविता अहलावत (M.A, M.Phil, Ph.D., NET, SET)
3. असिस्टेंट प्रोफेसर
4. डॉ0 दलीप सिंह (M.A, M.Phil, Ph.D., NET)
   सांध्यकालीन संविदा शिक्षक

संस्कृत विभाग

डॉ. भारती ((M.A., U-SET, Ph.D.)

असिस्टेंट प्रोफेसर

अर्थशास्त्र विभाग

श्री सुमित बिजलवाण (M.A., UGC-NET)

गेस्ट- फ़ैकल्टी

अंग्रेजी विभाग

कु. सोनम (M.A., UGC-NET) गेस्ट- फ़ैकल्टी

Scanned with CamScanner

कार्यालय (तृतीय श्रेणी)

1. श्री सुरेन्द्र पुरोहित- कनिष्ठ सहायक

पुस्तकालय

1. श्री कर्ण सिंह- पुस्तकालय सहायक (आउटसोर्स)

प्रयोगशाला

1. पूनम- प्रयोगशाला सहायक, भूगोल (आउटसोर्स)

कार्यालय (चतुर्थ श्रेणी)

1. श्री महावीर लाल- अनुसेवक
2. श्री धनवीर लाल- अनुसेवक (आउटसोर्स)
3. श्री बृज मोहन- अनुसेवक (आउटसोर्स)
4. श्री देवेंद्र सिंह- अनुसेवक (आउटसोर्स)
5. श्री अनिल कुमार- अनुसेवक/चौकीदार... (आउटसोर्स)

Scanned with CamScanner

कुलगीत

दया करो हे माँ शारदे, शिष्य जन हैं द्वार पे।
अज्ञानता के कूप में हैं, ज्ञान देकर तार दे॥
उच्च शिक्षा स्थल जखोली, मयाली घनसाली मार्ग पे।
दया करो हे माँ शारदे, शिष्य जन हैं द्वार पे।
राम आश्रम तल विराजे, ज्ञान मंदिर शारदे।
ग्राम देवल निकट अवस्थित, करे प्रार्थना द्वार पे॥
दया करो हे माँ शारदे, शिष्य जन हैं द्वार पे।
याचक खड़ें हैं हांथ जोंड़े, ज्ञान हम पर वार दे।
जीवन प्रकाशित कर हमारे, अंधकार से उबार दे॥
दया करो हे माँ शारदे, शिष्य जन हैं द्वार पे।
दे दिव्य दृष्टि ज्ञान की, अज्ञान सारा विफल कर दे।
कर्तव्य पथ पर बढ़ चलें, जीवन हमारा सफल कर दे॥
दया करो हे माँ शारदे, शिष्य जन हैं द्वार पे।
शरण तेरी आ पड़ें हैं, आशीष देकर तार दे।
अभिसिंचित कर पुण्य हमारे, पाप सारे मार दे॥
दया करो हे माँ शारदे, शिष्य जन हैं द्वार पे।

{रचनाकार: -डॉ जी.आर. सेमवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, अँग्रेजी विभाग, राजकीय महाविद्यालय जखोली (रुद्रप्रयाग) संप्रति:- प्राचार्य, वीर शहीद केशरी चंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डाकपत्थर (देहरादून)}

महाविद्यालय में ऑनलाइन/ऑफलाइन नियमित प्रवेश लेने हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट और महाविद्यालय के सूचना-पट्ट पर समय-समय पर जारी होने वाली सूचनाओं का नियमित अवलोकन करें।

Scanned with CamScanner